फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

बाली बनाम गोविन्दराम

नम्बर..........2023

किस्म मुकदमा– 223 आरटीए

जीसीएमएस संख्या..................2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01–09–23	अभिभाषक अपीलांट श्री मेघाराम गोदारा उपस्थित। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो ताबे मियांद पंजीबद्ध हो। विद्वान अभिभाषक अपीलांट को पत्रावली पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 06–09–2023 को पेश हो।	
06–09–23	अभिभाषक अपीलांट् उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि आराजी जैर अपीलांट् के पूर्वजों के धारण की भूमि रही है तथा उक्त भूमि पर अपीलांट्स का पूर्वजों के समय से ही निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट्स द्वारा अपने कब्जे काश्त की सुरक्षा एवं संरक्षणा हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत वादपत्र दिनांक 29–01–2020 को प्रस्तुत किया गया था तथा तभी से अपीलांट्स के अधिवक्ता निरन्तर न्यायालय के समक्ष उपस्थित आते रहे है तथा पत्रावली पक्षकारों की तलबी के उपरान्त बहस हेतु जैरकार चल रही थी। दिनांक 31–08–2021 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के वादपत्र को अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया तथा उक्त आशय की सूचना संबंधित अधिवक्ता द्वारा अपीलांट्स को प्रदान नहीं करते हुए प्रकरण में आगामी पेशियॉ बताई जाती रही है। कालान्तर में अपीलांट्स द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित आते हुए प्रकरण की जानकारी प्राप्त की गई तो ज्ञात हुआ कि उक्त वादपत्र दिनांक 31–08–2021 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। रेस्पोडेन्ट्स उक्त आदेश की आड़ में अपीलांट्स को मौके से खुदबुर्द करने पर अमादा है, जिसकी अपूरणीय क्षति अपीलांट्स को कारित होगी। आराजी जैर अपीलांट्स के पूर्वजों के समय से ही निरन्तर काबिज काश्त भूमि रही है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन भी अपीलांट्स के पक्ष में साबित है। लिहाजा अपील में वर्णित भूमि के मौके की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश प्रदान करावें।	

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स को पत्रावली पर सुना गया तथा पत्रावली का विधि को परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के आदेश दिनांक 31–08–2021 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है, जिसके माध्यम से अपीलांट्स का वादपत्र अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया है। इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स का वादपत्र अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज वादपत्र को पुनः रेस्टोर करवाये जाने हेतु किये गये प्रयासों का अपील में कहीं भी अंकन नहीं किया गया है। वरन् उक्त आदेश को अपील के माध्यम से निरस्त करवाने की चेष्टा की गई है। प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 31–08–2021 के विरूद्व अपील दिनांक 31–08–2023 को अर्थात दो वर्ष की अवधि के उपरान्त प्रस्तुत की गई है। इतनी लम्बी अवधि तक अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्राप्त नहीं होने का कथन स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि सोया हुआ व्यक्ति न्याय प्राप्त करने का अधिकारी नहीं माना जा सकता। प्रकरण में अपीलांट्स स्वयं अपने कृतव्यों के प्रति सावचेत नहीं रहते हुए अपनी गलती का भार अधिवक्ता पर डाल रहे है। जो स्वीकार योग्य नहीं है। लिहाजा अपीलांट्स प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं पाये जाने से अपीलांट्स की अपील इसी स्तर पर खारिज फरमाई जाती है। अपीलांट्स अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए चाराजोई करने हेतु स्वतन्त्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

6/9/23.

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर